संख्या-12/2018/1413/77-3-2018-6 बजट/16

प्रेषक,

सीताराम यादव,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से रू0 400.00 करोड़ ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के खम्भों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग के लिए निगमों/विभागों के भुगतान एवं सुपरविजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज आदि के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक122/यूपीडा/08/147, दिनांक 09.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 करोड़ में से शासनादेश संख्या-11/2018/1171/77-3-2018-06बजट/2016, दिनांक 16.04.2018 द्वारा रू0 450.00 करोड की धनराशि भूमि अधिग्रहण / क्रय हेतु जनपदों को स्वीकृत की गई है। अवशेष धनराशि रू0 550.00 करोड में से ट्रांशमिशन लाइन की शिफ्टिंग, बिजली के खम्भों/लाइनों की शिफ्टिंग, सरकारी स्कूल, नलकूप आदि की शिफ्टिंग के लिए निगमों/विभागों के भुगतान एवं सुपरविजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज आदि के भुगतान हेतु रू0 400.00 करोड़ (रू0 चार सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यूपीडा द्वारा उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-12/2018/1413(1)/77-3-2018, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7. संयुक्त सचिव/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।